

**कॉनफिलक्ट हीरों पर किम्बर्ली प्रोसेस सर्टीफिकेशन  
योजना (केपीसीएस) का कार्यान्वयन**

आइडसीडी नं.13/04.02.02/2002-03

3 फ़रवरी 2003

सभी वाणिज्य बैंको के अध्यक्ष/मुख्य  
कार्यकारी अधिकारी

श्रीमान,

**कॉनफिलक्ट हीरों पर किम्बर्ली प्रोसेस सर्टीफिकेशन  
योजना (केपीसीएस) का कार्यान्वयन**

हीरों से संबंधित कोई भी व्यापार करने के लिए क्रेडिट देने वाले अपने सभी ग्राहकों से दायित्व (अंडरटेकिंग) लेने के लिए कृपया हमारे परिपत्र आइडसीडी क्र. 3/04.02.02/2001-02 तारीख 30 अगस्त 2001 का संदर्भ लें।

2. हम सलाह देते हैं कि अन्य देशों की तरह भारत द्वारा स्वीकृत एवं संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनिवार्य किम्बर्ली प्रोसेस सर्टीफिकेशन योजना (केपीसीएस) के अनुसार यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि अवैध रूप से खनन किये गए या अवैध व्यापार में लिप्त कोई भी अपरिष्कृत हीरे हमारे देश में प्रवेश न करने पाएं। इस संबंध में बहुत सारे उपाय किए गए हैं जिसमें भारत में हीरों का आयात अनिवार्य रूप से किम्बर्ली प्रोसेस सर्टीफिकेशन (केपीसी) प्रणाली के तहत किया जाना शामिल है। इसी तरह, भारत से होनेवाले निर्यात भी केपीसी के तहत उस प्रभाव तक होना चाहिए जिसमें इस प्रक्रिया में किसी भी कॉनफिलक्ट/अपरिष्कृत हीरों का इस्तेमाल ना हो। इन केपीसी प्रमाणपत्रों को आयात/निर्यात मामलों में रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा सत्यापित/अधिकृत किया जाएगा, जिसे भारत सरकार द्वारा केपीसीएस के तहत आयात-निर्यात प्राधिकरण के तौर पर नामित किया गया है।

3. इसलिए यह तय किया गया है कि बैंक अपने उन सभी ग्राहकों से संलग्न प्रारूप के अनुसार संशोधित दायित्व (अंडरटेकिंग) लें जो हीरों से संबंधित कोई भी व्यापार करने के लिए क्रेडिट देते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ग्राहक केपीसीएस दिशा निर्देशों का पालन कर रहा है।

4. ग्राहक सेवा पर प्रमुख परिपत्र में अनुबंध के तौर पर अंडरटेकिंग का प्रारूप दिया गया है, निर्यात क्रेडिट की डिलिवरी प्रक्रियाओं के सरलीकरण एवं रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को तदनुसार संशोधित किया जा सकता है।

5. संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के किसी भी उल्लंघन के बारे में आरबीआई को तुरंत सूचित करने के लिए मौजूदा प्रणाली ऊपर दिये गए परिपत्र में निर्धारित रूप से जारी रहेगी।

कृपया स्वीकृति को सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(उषा थोरात)

मुख्य

महाप्रबंधक

सम्मिलित: 1

आइसीडी परिपत्र क्र. 13/04.02.02/2002-03 तारीख फरवरी, 2003 के लिए अनुबंध

हीरों के ग्राहकों का दायित्व (अंडरटेकिंग)

हीरों से संबंधित किसी भी व्यापार के लिए क्रेडिट देने वाले ग्राहकों से बैंक द्वारा  
अंडरटेकिंग लेने के लिए अंडरटेकिंग का प्रारूप

"मैं इसके द्वारा अंडरटेकिंग देता हूँ कि:

- 1) मैं जानबूझकर कॉनफिलक्ट हीरों का कोई भी व्यापार नहीं करूँगा, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव क्र.1173, 1176 और 1343(2001) के तहत प्रतिबंधित किया गया है या ऐसे कॉनफिलक्ट हीरों जो अफ्रीका के किसी भी हिस्से से आते हो जिसमें लाइबेरिया शामिल है जिसपर विद्रोहियों ने वहां की वैध और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार के खिलाफ बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित किया है।
- 2) सिएरा लियोन और/या लाइबेरिया से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपरिष्कृत हीरों का आयात नहीं करूँगा चाहें फिर ऐसे हीरों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव क्र. 1306 (2000) के संदर्भ में लाइबेरिया से उत्पन्न हुए हो या ना हो, जिसके तहत सियरा लियोन से सभी अपरिष्कृत हीरों के आयात को प्रतिबंधित किया गया है और 1343 (2001) के तहत सियरा लियोन से ऐसे सभी अपरिष्कृत हीरों के आयात को प्रतिबंधित किया गया है और 1343(2001) के तहत लाइबेरिया से ऐसे सभी अपरिष्कृत हीरों के आयात को प्रतिबंधित किया गया है।
- 3) हीरों के व्यापार में किम्बर्ली प्रोसेस सर्टीफिकेशन योजना का पालन करूँगा।

2. मैं इसके लिए अपनी सहमति देता हूँ कि यदि मैं किसी भी समय इन हीरों के व्यापार में जानबूझकर शामिल पाया गया तो मेरी सभी क्रेडिट पात्रता को वापस ले लिया जाएगा”।